

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बड़जलास - राकेश कुमार गुप्ता, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या - 11/2023

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

सरकार जरिये
खाद्य सुरक्षा
अधिकारी कार्यालय
मुख्य चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य अधिकारी
कम अभिहित
अधिकारी, नागौर

1 कृपाराम बोला पुत्र रतिराम निवासी जाटो का वास, बोला की ढाणी, तुकलीया, मेडता जिला नागौर।
मैसर्स:- महाकालेश्वर दूध डेयरी एण्ड बेकरी, हरसोलाव चौराहा, गोदन जिला नागौर।
2 भगवानाराम बोला पुत्र रतिराम निवासी जाटो का वास, बोला की ढाणी, तुकलीया, मेडता जिला नागौर।
मैसर्स:- महाकालेश्वर दूध डेयरी एण्ड बेकरी, हरसोलाव चौराहा, गोदन जिला नागौर।

आदेश

दिनांक :19.10.2023

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 16-02-23 को मैसर्स महाकालेश्वर दुध डेयरी एण्ड बेकरी, हरसोलाव चौराहा, गोदन जिला नागौर पर खाद्य पदार्थ मिक्स दूध में गिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 2122 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/128/एक्ट/2023/155 दिनांक 26.02.2023 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना खाद्य पदार्थ मिक्स दूध सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण कृपाराम बोला पुत्र रतिराम निवासी जाटो का वास, बोला की ढाणी, तुकलीया, मेडता जिला नागौर तथा भगवानाराम बोला पुत्र रतिराम निवासी जाटो का वास, बोला की ढाणी, तुकलीया मेडता जिला नागौर ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 19-06-2023 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने दिनांक 19.10.23 को अपना जवाब प्रस्तुत कर जुर्म स्वीकार किया। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने अपने जवाब में बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने मेरी फर्म से दूध का सैम्पल लिया जो जांच में सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया, भविष्य में दूध बेचते समय ऐसी गलती नहीं करेंगे। अप्रार्थीगण ने दोष मुक्त करवाने एवं कम से कम जुर्माना लगाने का निवेदन किया है।

3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या क्रमांक एलएस/128/एक्ट/2023/155 दिनांक 26.02.2023 के अनुसार खाद्य पदार्थ मिक्स दूध का नमूना सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया है। इसलिये अप्रार्थीगण को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या 01 कृपाराम बोला पुत्र रतिराम निवासी जाटो का वास, बोला की ढाणी, तुकलीया, मेडता जिला नागौर तथा अप्रार्थी संख्या 02 भगवानाराम बोला पुत्र रतिराम निवासी जाटो का वास, बोला की ढाणी, तुकलीया मेडता जिला नागौर पर संयुक्त रूप से रुपये 10,000/- अक्षरे दस हजार रुपये शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थीगण को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थीगण से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते हैं तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार गुप्ता)

अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)